स्पेशल टॉस्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ

प्रेसनोट संख्या–69 दिनॉक:01.03.2021

एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा मृतक अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों को ग्राम बिकरू में 08 पुलिस कर्मियों की लोमहर्षक हत्या काण्ड के पश्चात शरण देने वाले व उनको फरार कराने वाले व विकास दुबे के असलहा व कारतूसों को क्रय विक्रय करने वाले व अपने पास में रखने वाले 07 नफर अभियुक्तों को मय असलहा व कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनॉकः 01.03.2021 को एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर के द्वारा मृतक अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों को ग्राम बिकरू में 08 पुलिस कर्मियों की लोमहर्षक हत्या काण्ड के पश्चात शरण देने वाले व उनको फरार कराने वाले व विकास दुबे के असलह व कारतूस को क्रय विक्रय करने वाले व अपने पास में रखने वाले 07 नफर अभियुक्तों को मय असलहा व कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. विष्णु कश्यप पुत्र स्व0 हरीशंकरकश्यप निवासी ग्राम शिवली थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात।
2. अमन शुक्ला पुत्र श्री राजनारायन शुक्ला निवासी–ग्राम धनीरामपुर, थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
3. रामजी उर्फ राधे पुत्र बाबूराम निवासी वार्ड नम्बर–11, तुलसी नगर, रसूलाबाद, थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।
4. अभिनव तिवारी उर्फ चिकू पुत्र अनिल कुमार निवासी धनीरामपुर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।
5. मनीष यादव उर्फ शेरू पुत्र अभिलाख सिंह यादव निवासी ग्राम डिहीकला थाना देहात जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश।
6. संजय परिहार उर्फ पिंकू पुत्र नरेश परिहार निवासी ग्राम करियाझाला, झींझक थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात
7. शुभम पाल पुत्र स्व0 दसरामपाल निवासी मंगलापुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात।

बरामदगीः–

1. 01 अदद सेमी ऑटोमैटिक रायफल मेड इन अमेरिका 40 स्प्रिंग फील्ड नम्बर–3042948।
2. 01 अदद 9 एमएम अवैध कारबाइन।
3. 01 अदद अवैध रिवाल्वर
4. 01 अदद अवैध एसबीबीएल बन्दूक 12 बोर।
5. 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
6. 42 अदद 30.06 बोर रायफल के जिंदा कारतूस।
7. 40 अदद .32 बोर रिवाल्वर के जिंदा कारतूस।
8. 02 अदद ए0के0 47 के रायफल के जिंदा कारतूस।
9. 04 अदद .32 बोर पिस्टल के जिंदा कारतूस।
10. 20 अदद 7.62 एमएम पिस्टल के जिंदा कारतूस।
11. 02 अदद 7.62 एमएम पिस्टल के खोखा कारतूस।
12. 12 बोर के 25 अदद जिंदा कारतूस।
13. .38 बोर का 01 अदद जिंदा कारतूस।
14. 07 अदद 30.06 बोर रायफल के कारतूसों के चार्जर क्लिप।
15. 01 अदद एप्पल कम्पनी(आईफोन) का मोबाइल फोन मृतक अभियुक्त विकास दुबे का।
16. 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का मृतक अभियुक्त अमर दुबे का।
17. 01 अदद मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी का मृतक अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय मिश्रा का।
18. 01 अदद ओमनी कार नम्बर यूपी 78 ईयू 3461 (घटना के बाद मृतक अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों को करियाझाला से औरैया बस स्टैण्ड तक ले जाने वाली)
19. 01 अदद वैगन कार संख्या डीएल 5सीआर 9053 (गिरफ्तार अभि0 संजय परिहार उर्फ टिंकू की)
20. 05 अदद मोबाइल फोन गिरफ्तार अभियुक्तगणों के।
21. 02 अदद आधार कार्ड
22. 01 अदद पैन कार्ड
23. रुपया 2,05,000.00(दो लाख पॉच हजार रूपये) नगद भारतीय मुद्रा।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनॉक व समय:–</u>

भौंती पनकी पडाव चौराहे से इन्ड्रस्ट्रियल एरिया की ओर जाने वाले सर्विस रोड के पहले **अण्डरपास के नीचे। दिनॉक: 01.03.2021**

जनपद कानपुर नगर के थाना चौबेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–191/2020 धारा 147/148/149/504/323/364/342/307/ भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनॉक: 2/3–07–2020 को तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में भयादोहन करने वाले हिस्ट्रीशीटर गिरोहबंद वांछित दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के घर दबिश देने गयी पुलिस टीम पर सुनियोजित तरीके से विकास दुबे द्वारा अपने साथियों की मदद से अपने घर की तरफ आने वाले मुख्य मार्ग पर जेसीबी मशीन को खड़ा करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था और अपने साथियों के साथ छतों से मोर्चा लेकर पुलिस बल पर घात लगाकर सेमी ऑटोमैटिक रायफल बन्दूक व पिस्टलों व अन्य घातक असलहों से ताबडतोड़ फायरिंग की गयी थी, जिसमें तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्हौर श्री देवेन्द्र मिश्र एवं उनके हमराह तीन उपनिरीक्षक व चार आरक्षी शहीद हो गये थे तथा छः पुलिस कर्मी घायल हो गये थे। विकास दुबे द्वारा अपने साथियों की मदद से पुलिसटीम की ए0के0 47 रायफल व 01 अदद इंसास रायफल व 01 अदद 9एमएम ग्लाक पिस्टल व 02 अदद 9एमएम पिस्टल मय कारतूस के लूट लिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पर मु0अ0सं0–192/20 धारा 147/148/149/302/307/394 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम विकास दुबे पुत्र रामकुमार दुबे व अन्य 21 ज्ञात अभियुक्तगण व 60–70 अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था।

उपरोक्त घटना के पश्चात स्थानीय पुलिस व एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा घटना में शामिल में अभियुक्तगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी थी, जिसमें छः अभियुक्त भिन्न–भिन्न तिथियों में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गये थे तथा अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका था किन्तु अभियुक्तगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त सेमी ऑटोमैटिक रायफल व अन्य काफी आर्म्स एवं एम्यूनेशन की बरामदगी नहीं हुयी थी और न ही घटना के पश्चात मृतक अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों को शरण देने वाले व घटनास्थल से अभियुक्तगणों को फरार कराने में मदद करने वाले व्यक्तियों की अबतक न तो पहचान हो सकी थी और न ही इनके विरुद्ध कोई वैधानिक [illegible]

चूंकि घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में यह महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते थे जिस कारण इस सम्बन्ध में सूचनायें संकलित कर उनको विकसित कर वैधानिक कार्यवाही किया जाने हेतु एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयों को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में एस0टी0एफ फील्ड यूनिट कानपुर के पुलिस उपाधीक्षक श्री तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निरीक्षक श्री लाल सिंह, उ0नि0 श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा विभिन्न माध्यमों से सूचनायें संकलित की जाने लगी तो इस सम्बन्ध में कुछ अपुष्ट सूचनायें प्राप्त हुयी कि मृतक अभियुक्त विकास दुबे अपने अपराधी साथियो मृतक अभियुक्त अमर दुबे व मृतक अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय के साथ घटना कारित करने के बाद घटना में प्रयुक्त काफी आर्म्स, एम्यूनेशन लेकर कस्बा शिवली, कानपुर देहात से भागकर कानपुर देहात व कानपुर देहात के आस–पास के जनपद व क्षेत्रों में 02 दिनों तक रूका हुआ था और इन्हीं–किन्हीं स्थानों पर आर्म्स एम्यूनेशन व अन्य सामान रखकर दिल्ली/फरीदाबाद भागा था और जिन व्यक्तियों के पास मृतक अभियुक्त विकास दुबे ने घटना में प्रयुक्त आर्म्स एम्यूनेशन रखा हुआ था उनमें से कुछ लोग दिल्ली में रहते है और उनके द्वारा कुछ असलहे व कारतूस मध्य प्रदेश में विक्रय भी किये जा चुके है और अन्य शेष असलहों व कारतूसों के क्रय–विक्रय की बात चल रही है। जिसको तस्दीक करने व विकसित करने हेतु एस0टी0एफ कानपुर इकाई की एक टीम विगत दिनों कानपुर देहात, औरैया व दिल्ली प्रान्त व मध्य प्रदेश मय मुखबिर के रवाना हुयी थी।

सूचना संकलन के क्रम में ही निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि मृतक अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों के द्वारा घटना में प्रयुक्त जो असलहे व कारतूस पूर्व में विक्रय करने के बाद शेष बचे हुये है उनके क्रय–विक्रय की बात जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश निवासी व्यक्ति से पक्की हो चुकी है और उनका क्रय–विक्रय भौंती पनकी पडाव चौराहे से इन्डस्ट्रियल एरिया की ओर जाने वाले सर्विस रोड के पहले अण्डरपास के नीचे किया जायेगा। इस सूचना पर एस0टी0एफ टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करते हुये उनके कब्जे से उपरोक्तानुसार बरामदगी हुयी।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूँछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि विष्णु कश्यप मृतक अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय का बचपन का दोस्त था व साथ–साथ पढ़े थे, जिस कारण प्रभात मिश्रा का सम्पर्क विष्णु कश्यप के बहनोई रामजी उर्फ राधे से भी हो गया था तो दिनॉक 2/3–07–2020 को ग्राम बिकरू में पुलिस कर्मियों की हत्या कारित करने की घटना के पश्चात दिनॉक 03.07.2020 को प्रातः 03–04 बजे के बीच प्रभात मिश्रा ने विष्णु कश्यप से सम्पर्क करके शिवली में नदी पुल के पास बुलाया तो उस समय प्रभात मिश्रा अकेला खड़ा

[illegible] सिर पर गमछा बांधे हुये था फिर उसने विष्णु कश्यप से 03 गमछा व पानी मंगवाया था और एक चार [illegible] गाडी का प्रबन्ध करने के लिये भी कहा था तो विष्णु कश्यप ने अपने दोस्त छोटू निवासी शिवली के घर आकर उसकी स्विफ्ट डिजायर कार एवं छोटू को साथ लेकर कैलई रोड तिराहा के पास आया। वहीं झाडियों के पीछे से विकास दुबे, अमर दुबे व प्रभात मिश्रा आकर गाडी पर बैठ गये और अपने काफी असलहे व कारतूसों व बैगों को भी गाडी में रख लिया था। इसके बाद गाडी को अमर दुबे चलाने लगा, और वहीं से सभी लोग विष्णुकश्यप के बहनोई रामजी उर्फ राधे के घर तुलसीनगर रसूलाबाद पर आये और उसके घर के नीचे बने तलघर मे सभी लोग छिप गये। यहीं से अभिषेक उर्फ छोटू अपनी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर वापस चला गया था।

दिनॉक 03.07.2020 को दोपहर 12:00–01:00 बजे के लगभग रामजी उर्फ राधे अपनी मोटर साइकिल से अमर दुबे को रसूलाबाद से लेकर ग्राम करियाझाला में संजय परिहार उर्फ टिंकू की बगिया मे पहुँचा तो उस समय वहॉ पर संजय परिहार उर्फ टिंकू, अभिनव तिवारी उर्फ चिंकू, अर्पित मिश्रा उर्फ पुत्तू मिश्रा, विक्की यादव, अमन शुक्ला व मोहन अवस्थी आदि मौजूद थे। मृतक अभियुक्त अमर दुबे ने पुत्तू मिश्रा को अलग बुलाया और कहीं रूकने की व्यवस्था करने के लिये कहा तो पुत्तू मिश्रा ने अमर दुबे व रामजी उर्फ राधे को अपने खेतो के टयूबेल पम्प में रूकवा दिया। इसके बाद अमर दुबे वहीं पर रूक गया और रामजी उर्फ राधे व अभिनव उर्फ चिंकू 02 मोटर साइकिलों से रामजी उर्फ राधे कश्यप के मकान तुलसीनगर, रसूलाबाद पर आये और मकान के तलघर में दोनों लोग चले गये जहॉ पर विकास दुबे, प्रभात मिश्रा, रामजी उर्फ राधे, अभिनव उर्फ चिंकू ने खाना खाया और 2–3 घण्टे रूकने के बाद सांय समय लगभग 5–6 बजे बडे असलहों एवं कुछ छोटे असलहों को एवं कारतूसों एवं अपने–अपने मोबाइल फोन को रामजी उर्फ राधे के तलघर पर रखकर 4–5 छोटे असलहों(पिस्टलों) को साथ लेकर दोनों मोटर साइकिलों से विकास दुबे, प्रभात मिश्रा, रामजी उर्फ राधे एवं अभिनव उर्फ चिंकू अर्पित मिश्रा उर्फ पुत्तू मिश्रा के टयूबेल पर आये तो विकास दुबे ने पुत्तू मिश्रा से कहीं और रूकवाने के लिये कहा तो पुत्तू मिश्रा ने अभिनव तिवारी उर्फ चिंकू व अमन शुक्ला को कमरे की व्यवस्था करने के लिये झीझक कस्बा भेजा किन्तु जब काफी देर तक ये दोनों लोग कमरे की व्यवस्था नहीं कर पाये तो अर्पित उर्फ पुत्तू मिश्रा ने शिवम पाल निवासी मंगलापुर के माध्यम से मृतक अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों को रूकवाने की व्यवस्था के लिये कहा तो शिवमपाल ने 02 दिन तक अपने सुरक्षित ठिकाने पर रूकवाया था और उनको चाय, नाश्ता व खाना की व्यवस्था करने के साथ–साथ उनको समाचार पत्र भी उपलब्ध कराया था एवं घटना के सम्बन्ध मे मोबाइल फोन पर न्यूज चैनल भी विकास दुबे, अमर दुबे व प्रभात मिश्रा देखते थे। उसके पश्चात शुभमपाल ने अपनी ओमनी कार से दिनॉक 05.07.2020 को सायं तीनों मृतक अभियुक्तों विकास दुबे, अमर दुबे व प्रभात मिश्रा को औरैया छोड़ा था व उनके कुछ असलहे व कारतूस व मृतक अभियुक्त अमर दुबे का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया था। जहां से मृतक अभियुक्त विकास दुबे, अमर दुबे व प्रभात मिश्रा दिल्ली चला गया था।

अभियुक्त विकास दुबे, अमर दुबे व प्रभात मिश्रा के पुलिस मुठभेड में मारे जाने के बाद जब काफी दिनों बाद पुलिस की गतिविधियॉं शांत हो गयी तो अभिनव तिवारी उर्फ चिंकू, रामजी उर्फ राधे, अमन शुक्ला, संजय परिहार आदि आश्वस्त हो गये कि इस सम्बन्ध मे पुलिस को कोई जानकारी नहीं है और मामला शांत हो गया है तो संजय परिहार, अभिनव उर्फ चिंकू और अमन शुक्ला ने रामजी उर्फ राधे से सम्पर्क किया व विकास दुबे के छोडे गये असलहों के बाबत बात किया तो रामजी उर्फ राधे कश्यप ने बताया कि वह कुछ असलहे व कारतूस अपने गॉंव मे छिपा दिया है और उनके मोबाइल फोन व कुछ असलहे कारतूस को विष्णु, शिवमपाल व पुत्तू मिश्रा को दे दिया है। इसके बाद माह जनवरी 2021 में संजय परिहार उर्फ टिंकू व अमन शुक्ला ने एक सेमी आटोमैटिक 30 स्प्रिंग रायफल मय कारतूस व 01 अदद डीबीबीएल 12 बोर गन इटावा भिन्ड रोड पर स्थित दावत रेस्टोरेन्ट व पैट्रोल पम्प के मालिक सत्यवीर सिंह यादव उर्फ चतुरी यादव के रिश्तेदार मनीष यादव उर्फ शेरू पुत्र अभिलाख सिंह ग्राम डिडीकला थाना देहात जनपद भिण्ड, बन्टी सिंह यादव पुत्र कल्यान सिंह यादव ग्राम गिरन्द का पुरा पोस्ट अकोडा जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश, रंजीत व मंगल सिंह निवासीगण जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश को विक्रय कर दिया है। शेष असलहा व कारतूसों के क्रय विक्रय करते समय अभियुक्तगणों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये एस0टी0एफ टीम द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी की गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना पनकी में अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।